रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052023-245820 CG-DL-E-11052023-245820

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2073] No. 2073] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2023/वैशाख 21, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2023/VAISAKHA 21, 1945

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2023

का.आ. 2163(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डॉ. सुनील मिलक, को डॉ. वाई. के. गुप्ता, पूर्व एचओडी, फार्माकोलॉजी, एम्स दिल्ली के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के संस्थान निकाय का सदस्य नामित करती है,और उस प्रयोजन से दिनांक 10 जून, 2020 के.आ. 1820 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या Z-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 18 मई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, क्रमसंख्या 9 और उस से संबंधित प्रविष्टि में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: "9. डॉ .सुनील मलिक"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

> [फा. सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV] अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

3078 GI/2023 (1)

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2023

**S.O. 2163(E).**—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Sunil Malik, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Bhopal in place of Dr. Y.K.Gupta, former HOD, Pharmacology, AIIMS Delhi and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Health & Family Welfare, File Number Z-28016/177/2019-PMSSY-IV dated the 18<sup>th</sup> May, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 1820 (E) dated the 10<sup>th</sup> June, 2020:

In the said notification, for serial number 9 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

"9. Dr. Sunil Malik"

The terms of office of the member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/177/2019-PMSSY.IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2023

का.आ. 2164(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, डॉ. सुनील मिलक, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2023

**S.O. 2164(E).**—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Sunil Malik as President of All India Institute of Medical Sciences, Bhopal.

[F. No. Z-28016/177/2019-PMSSY.IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.